मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
रिट याचिका संख्याः759/1995

याचिकाकर्ता — परीक्षितदास पिता मनमोहन दास, निम्न श्रेणी लिपिक, रायपुर जिला मत्स्य कृषक अभिकरण, रायपुर निवासी माना कॉलोनी, माना तहसील एवं जिला रायपुर म.प्र.।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण

1. रायपुर जिला मत्स्य कृषक अभिकरण, रायपुर द्वारा अध्यक्ष एवं कलेक्टर, रायपुर, मुख्यालय, कलेक्टरेट, रायपुर।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर जिला मत्स्य कृषक अभिकरण, रायपुर मुख्यालय कलेक्ट्रेट, रायपुर।
3. निदेशक मत्स्योद्योग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. मध्य प्रदेश शासन द्वारा सचिव कृषि (पशुचिकित्सा) विभाग, भोपाल।

<u>रिट आदि की प्रकृति में उपयुक्त रिट या आदेश या निर्देश जारी करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्याः759/1995

याचिकाकर्ता : परीक्षितदास

बनाम

उत्तरवादीगण : रायपुर जिला मत्स्य कृषक अभिकरण अभिकरण और अन्य

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के अग्निहोत्री

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एस.पी. शर्मा अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के लिए कोई नहीं।
उत्तरवादी संख्या 3 और 4 की ओर से : श्री वी.वी.एस. मूर्ति उप–महाधिवक्ता के साथ श्री आई.एन. श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता।

मौखिक आदेश
(22 अगस्त, 2006)

1. याचिकाकर्ता को उत्तरवादी संख्या 1 और 2 द्वारा अस्थायी रूप से दिनांक 26.7.1975 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) के द्वारा मछुआरा के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को उसके बाद परिचारक के पद पर नियुक्त किया गया था। परिचारक के रूप में काम करते समय याचिकाकर्ता को दिनांक 22.11.1989 के आदेश

(अनुलग्नक पी/3) के द्वारा अस्थायी रूप से 870–1420 रुपये के वेतनमान पर एल.डी.सी. (निम्न श्रेणी लिपिक) के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता 28 फरवरी, 1995 तक निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत रहा, उसके बाद उसे दिनांक 28.2.1995 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) के तहत चपरासी (परिचारक) के पद पर पदावनत कर दिया गया।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.पी. शर्मा ने तर्क किया कि दिनांक 28.2.1995 का आक्षेपित आदेश सिविल परिणामों से संबंधित है और चूंकि इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना और याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था, इसलिए यह आदेश इस साधारण आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण दोषपूर्ण है। आगे यह तर्क दिया गया है कि मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी और अर्ध–स्थायी सेवा) नियम, 1960 (संक्षेप में नियम, 1960) के प्रावधानों के तहत, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाया गया है, याचिकाकर्ता ने निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर पांच वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी करने पर नियम 3 ए के द्वारा सेवा में अर्ध–स्थायी दर्जा प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता की सेवा किसी अन्य आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती थी, सिवाय इसके कि प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया हो।

3. उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 अर्थात रायपुर जिला मत्स्य कृषक अभिकरण, रायपुर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर जिला मत्स्य कृषक अभिकरण रायपुर को कई सूचना दिए जाने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बावजूद उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, उनकी ओर से जवाब दिनांक 12.5.1995 को दाखिल किया गया। जवाब में उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 का तर्क है कि नियम 1960 के नियम 3 और 3 ए के तहत अर्ध–स्थायी स्थिति की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। उत्तरवादी सं. 1 और 2 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त नियम लागू होते हैं, क्योंकि उत्तरवादी सं. 1 और 2 का कहना यह नहीं है कि उक्त नियम याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होते। जवाबदावा में यह भी कथन किया गया है कि चूंकि निम्न श्रेणी लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवाएं निचले पद पर प्रतिवर्तित कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री वी.वी.एस. मूर्ति, विद्वान उप–महाधिवक्ता सहित श्री आई.एन. श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 और 4 की ओर से तर्क किया कि इस मामले को उत्तरवादी संख्या 1 और 2 द्वारा लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य अर्थात उत्तरवादी संख्या 3 और 4 का इस मामले में कोई हित नहीं है और उत्तरवादी संख्या 3 और 4 के खिलाफ याचिकाकर्ता की कोई शिकायत नहीं है।

5. नियम 1960 के नियम 3 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर, श्री मूर्ति ने अपनी सामान्य स्पष्टता और निष्पक्षता से तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में जहां याचिकाकर्ता ने 5 वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी कर ली है, नियम 1960 के नियम 3 ए के द्वारा अर्ध–स्थायी स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई घोषणा आवश्यक नहीं है। नियम 1960 के नियम 3 को नीचे उद्धृत किया गया है:–

3. कोई भी शासकीय सेवक अर्धस्थायी सेवा में माना जायेगा, यदि –

(i) यदि वह लगातार तीन वर्ष से अधिक उसी एक ही सेवा अथवा पद की अस्थायी सेवा में रहा है; और

(ii) यदि अर्धस्थायी हैसियत में नियुक्ति के लिये आयु, योग्यता, कार्य तथा चरित्र से सम्बन्धित उपयुक्तता के सम्बन्ध में राज्यपाल के ऐसे समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसरण में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होकर वैसी घोषणा की गई हो।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन के लिये निरन्तर सेवा की संगणना करने के लिये किसी दीर्घावकाश (वेकेशन) के दौरान सेवा में विघ्न (ब्रेक–इन–सर्विस) की अवधि की गणना वास्तविक सेवा की अवधि के रूप में की जायेगी जहां पर ऐसी अवधि के सम्बन्ध में दीर्घावकाश के ठीक पश्चात् पुनः नियुक्ति पर शासकीय सेवक को अपना वेतन और भत्ते प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3–क. किसी शासकीय सेवक के सम्बन्ध में जिसके बारे में नियम 3 के खंड (दो) के अधीन कोई घोषणा जारी नहीं की गई हो, परन्तु जो ऐसी किसी सेवा या पद पर जिसके बारे में ऐसी घोषणा की जा सकती थी अस्थायी सेवा में निरन्तर पांच वर्ष तक रहा है, अर्धस्थायी सेवा में माना जायेगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अन्यथा आदेश न दे।

3–कक . नियम 3 और 3–ए के प्रयोजन के लिये, किसी नियुक्ति के प्रकरण में –

(क) जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है, वहां किसी शासकीय सेवक द्वारा भरती नियमों के उपबन्धों या राज्यपाल द्वारा समय–समय पर जारी किये गये किन्हीं निर्देशों के अनुसरण में अस्थायी नियुक्ति के पूर्व जो सेवा की गई है उसे, सेवा के पूर्ण तीन वर्ष या पाँच वर्ष, जैसा भी प्रकरण हो, मानने हेतु गणना में नहीं ली जायेगी;

(ख) जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित है, वहाँ किसी शासकीय सेवक द्वारा की गई वह सेवा जो, लोक सेवा आयोग द्वारा उसका चयन किये जाने के पूर्व की गई है उस सेवा के पूर्ण तीन वर्ष या पाँच वर्ष, जैसा भी प्रकरण हो, मानने हेतु गणना में नहीं ली जायेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा याचिका एवं जवाबदावा के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय एवं निष्पक्ष कार्यवाही के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी आदेश, जो सिविल परिणामों से संबंधित हो तथा किसी शासकीय कर्मचारी के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, और इस प्रकार दिनांक 28.2.1995 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/4) दोषपूर्ण है।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों अर्थात् **एच.एल. त्रेहान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य {(1989) 1 एस.सी.सी. 764} तथा भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य ए.आई.आर.**

1994 एस.सी. 2480 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि बिना कारण बताओ सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना पंक्ति में अवनत किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। **गजानन एल. पेरनेकर बनाम गोवा राज्य व अन्य {(1999) 8 एस.सी.सी. 378}** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सुनवाई का अवसर दिए बिना लाभ वापस नहीं लिया जा सकता था।

8. उपरोक्त कारणों से दिनांक 28.2.1995 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/4) निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में, चूंकि याचिकाकर्ता निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत नहीं है, इसलिए वह पूरा बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, और याचिकाकर्ता को उसके उचित वेतन से वंचित किया गया है, तो याचिकाकर्ता विधि में स्वीकार्य संशोधित वेतनमान के साथ संशोधन के साथ पिछला वेतन का 50% बकाया पाने का हकदार है।

10. तदनुसार याचिकाकर्ता स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-
सतीश के अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Pushyamitra Maltiar, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur